उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 222वीं बैठक
दिनांक 06 फरवरी 2013 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 222वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री प्रवीर कुमार	माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
4–	श्री एन0आर0वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
5–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
6–	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
7–	श्री आर0के0शुक्ला	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री सदस्य
8–	श्री राकेश कुमार सिंह	विशेष सचिव, आवास	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
222/1	परिषद की 221वीं बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 221वीं बैठक दि0 23.08.12 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
222/2	परिषद की 220वीं बैठक दिनांक 03अगस्त 2012 तथा 221वीं बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2012 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 220वी बैठक दिनांक 03.08.12 तथा 221वीं बैठक दिनांक 23.08.12 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
222/3	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में से प्रदेश के मुख्य नगरों में बहुमंजिले भवनों का निर्माण कराये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भूखण्डीय विकास हेतु योजनान्तर्गत विक्रयशील आवासीय क्षेत्रफल में भूखण्डीय विकास का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा : 1. 10 लाख से अधिक आबादी के शहर + एनसीआर क्षेत्र में अधिकतम 20% 2. 5 से 10 लाख की आबादी के शहर में अधिकतम 30% 3. 1 से 5 लाख की आबादी के शहर में अधिकतम 50% 4. भूखण्डों के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा 300 व.मी. होगी।
222/4	परिषद की दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–5 में प्रस्तावित स्व–वित्त–पोषित परियोजना 2011 के अन्तर्गत प्रस्तावित सपना (टाइप–I) के 464 नग फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि दु.आ.व./अ.आ.व. भवनों के मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नवीन योजनाओं की लांचिंग से पूर्व योजना की डी0पी0आर0 को तैयार करके विभिन्न मदों के लिए आरक्षित भूमि को दर्शाते हुए परिषद के अवलोकनार्थ रखा जाय, तत्पश्चात् ही सम्बंधित योजना की लांचिंग की जायेगी।

222/5	परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–5 में स्व–वित्त–पोषित परियोजना–2011 के अन्तर्गत प्रस्तावित सपना (टाइप–II) के 688 नग फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि दु.आ.व./अ.आ.व. भवनों के मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नवीन योजना की लांचिंग से पूर्व योजना की डी0पी0आर0 को तैयार करके विभिन्न मदों के लिए आरक्षित भूमि को दर्शाते हुए परिषद के अवलोकनार्थ रखा जाय, तत्पश्चात् ही सम्बंधित योजना की लांचिंग की जायेगी।
222/6	परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–4(A) में स्व–वित्त–पोषित परियोजना–2011 के अन्तर्गत प्रस्तावित आसरा (टाइप–I) के 1392 नग फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्त स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि दु.आ.व./अ.आ.व. भवनों के मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नवीन योजना की लांचिंग से पूर्व योजना की डी0पी0आर0 को तैयार करके विभिन्न मदों के लिए आरक्षित भूमि को दर्शाते हुए परिषद के अवलोकनार्थ रखा जाय, तत्पश्चात् ही सम्बंधित योजना की लांचिंग की जायेगी।
222/7	मेट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दिलशाद गार्डन नई दिल्ली से बस अड्डा, गाजियाबाद कारीडोर (लम्बाई 9. 71किमी0 7 स्टेशन) के क्रियान्वयन के संबंध में।	परिषद की 220वीं बैठक दिनांक 03.08.12 में लिये गये निर्णय की शर्त के अधीन मेट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) हेतु बढ़ी धनराशि रू0 295 करोड़ के स्थान पर रू0 332.40 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मेट्रो के आने से प्रस्तावित योजनाओं की विक्रयशीलता भी बढ़ेगी तथा सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि संभावित है। अतः उक्त के दृष्टिगत मेट्रो पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु योजनान्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के मूल्य को पुनर्निधारण हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, वित्त नियंत्रक, स्थानीय अधीक्षण अभियंता एवं उप आवास आयुक्त (गाजि.) होंगे। उक्त समिति विचार कर अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

वित्त एवं लेखानुभाग

222/8	परिषद के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के संबंध में।	परिषद के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों के अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
222/9	यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों को परिषद में लागू करने के संबंध में।	परिषद में यात्रा–भत्ता की पुनरीक्षित दरों से सम्बंधित उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 जी–2–175/दस–2011–601/2011 वित्त (सामान्य अनुभाग–2)दिनांक 31.03.2011 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

222/10	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की सेवा विनियमावली में सरलीकरण एवं संशोधन का सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
222/11	पंचम वेतनमान रुपया 4500–7000 में कार्यरत परिषद के अन्य कार्मिकों के भॉति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को संशोधित वेतनमान रुपया 5000–8000 प्रदान किये जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि सुसंगत शासनादेश के आलोक में परीक्षण कर आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।
222/12	दिनांक 01.01.2012 से महंगाई भत्ता पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भविष्य में सार्वजनिक उद्यम विभाग की स्टियरिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जाय।
222/13	वर्ष 2011–12 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में।	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
222/14	दिनांक 01.07.2012 से मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भविष्य में सार्वजनिक उद्यम विभाग की स्टियरिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जाय।

विधि अनुभाग

222/15	परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	अवगत कराया गया कि परिषद के अधिवक्तागणों को देय फीस का निर्धारण अंतिम बार वर्ष 2009 में किया गया था, जिसमें वर्तमान में 20% की वृद्धि प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

222/16	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5 कानपुर के नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं धारा–31(1) के प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया धारा–28 के बाद हुए अवैध निर्माण के लिए उत्तरदायी कार्मिक का दायित्व निर्धारित कर उन्हें दंडित किया जाय तथा योजना की वर्तमान स्थिति को सेटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर अभिलेखार्थ रखा जाय।
222/17	जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी के नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं धारा–31(1) के प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया धारा–28 के बाद हुए अवैध निर्माण के लिए उत्तरदायी कार्मिक का दायित्व निर्धारित कर उन्हें दंडित किया जाय तथा योजना की वर्तमान स्थिति को सेटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर अभिलेखार्थ रखा जाय।

222/18	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में किसानों के साथ हुई वार्ता पर कार्यवाही के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह पाया गया कि किसानों की इन्हीं मांगों के दृष्टिगत परिषद की 217वीं बैठक दिनांक 01.08.11 में भूखण्ड का क्षेत्रफल संशोधित किया जा चुका है, उसे पुनः संशोधित किये जाने के सम्बंध में यह औचित्य पाया गया कि निम्न अधिकारियों की एक समिति आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कर दी जाय : 1. वित्त नियंत्रक, आवास विकास परिषद 2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) 3. सम्बंधित अधीक्षण अभियंता समिति किसानों की मांगों का व्यापक परीक्षण करके औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी।
222/19	परिषद की दिल्ली रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–8 सहारनपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या– 277/1, 277/2, 278/1 व 278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932 हेक्टेयर के संबंध में।	आवास आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण हेतु प्रस्ताव वापस लिया।
222/20	परिषद द्वारा उरई नगर में प्रस्तावित "जालौन रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1, उरई" के धारा–28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन स्वीकृत के संबंध में।	उरई नगर में प्रस्तावित "जालौन रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1" के धारा–28 के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2221/21	औरैया भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1, औरैया में समाविष्ट खसरा संख्या–44 एवं 45 ग्राम–बदनपुर की भूमि को आवंटित/समयोजित किये जाने के संबंध में।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक के कमेंट्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

222/22	गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजनान्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड सं0–14 /काम–01 व व्यवसायिक भूखण्ड सं0–13/एस–02 का भूपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	विचारोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण का विधिक दृष्टि से परीक्षण, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के अभिमत एवं अन्य दृष्टान्त के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

गोपन अनुभाग

222/23	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लखनऊ द्वारा वर्ष 2008–09 में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी श्रेणी को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में दायर निर्देश याचिका संख्या–1306/2012 ज्ञानेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद व अन्य में मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.08.2012 निस्तारित किये जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करे तथा समिति की संस्तुति को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

222/24	लखनऊ महायोजना 2021 में आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र में अनुवर्ती तलों पर आवासीय व अन्य उपयोग अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव लखनऊ एवं गाजियाबाद में स्थित CBD/ Sub CBD की विक्रयशीलता न होने के कारण जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया हैं। इस सम्बंध में यह औचित्य पाया गया कि निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित करके एक सप्ताह में समिति का सुविचारित सुझाव प्राप्त करके तद्नुसार कार्यवाही की जाय : 1. आवास आयुक्त 2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण 3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 4. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0
222/25	इंदिरा नगर योजना, लखनऊ में मुंशी पुलिया चौराहे के निकट स्थित खसरा सं0–77 (ग्राम इस्माइलगंज) के भू–प्रयोग परिवर्तन के निर्णय पश्चात उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति द्वारा भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण के संबंध में।	शासनादेश में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान दर पर ही भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि अनुभाग

222/26	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

222/27	आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीति का निर्धारण।	परिषद की विभिन्न योजनाओं में पूर्व से ही नर्सिंग होम/अस्पतालों की भूमि आवासीय दर का डेढ़ गुना दर पर नीलामी से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। तद्नुसार ही भविष्य में भी दरों के निर्धारण करते हुए निस्तारण की कार्यवाही की जाय, वस्तुतः शासनादेशों का प्रभाव उ0प्र0 के समस्त विकास प्राधिकरणों पर भी पड़ेगा, अतः यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश में संशोधन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाय।
222/28	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में स्थित नव चेतना पब्लिक स्कूल के संबंध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया गया तथा संज्ञान में लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का वर्तमान मूल्य लगभग 104 लाख है, जो सब्याज देयता के दोगुना से भी अधिक है, परिषद की 220 वीं बैठक दिनांक 03.08.12 में दण्ड ब्याज माफ किये जाने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर पुनर्विचार का कोई अतिरिक्त लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नही है।

भूमि अर्जन अनुभाग

222/29	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाई पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद के विस्थापित काश्तकारों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसान संघर्ष समिति गाजियाबाद की मॉगों के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त किसानों से पुनः वार्ता कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
222/30	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के भू–स्वामियों की मॉगों के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि धारा–28 के पूर्व भू–स्वामी द्वारा किये गये निर्माण जिसे नियोजन समिति की सर्वे रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है तथा उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन भी किया गया है, को अर्जनमुक्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शेष के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण करके पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अभियन्त्रण अनुभाग

222/31	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में हिण्डन नदी के बायें किनारे पर एन0एच0–24 एवं हिण्डन बैराज के मध्य 3.175 कि0मी0 लम्बाई में गाजियाबाद तटवर्ती बंध के निर्माण के संबंध में।	गाजियाबाद में प्रश्नगत तटवर्ती बांध के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वय–कोष्ठ

222/32	उ0प्र0 के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2367/पॉच–6–11–1082/87 दिनांक 10 अक्टूबर,2011 द्वारा "उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011" को परिषद में सेवारत कार्मिकों की चिकित्सा परिचर्या हेतु परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में।	चिकित्सा परिचर्या से सम्बन्धित शासनादेश सं0 2367/पांच–6–11–1082/87 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को परिषद में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रशासन अनुभाग

222/33	उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ लिपिक का पद उर्दू अनुवादक/सह वरिष्ठ सहायक के रूप में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन सहित उच्चीकृत करने के संबंध में।	शासनादेश सं0 15/10/94–का–4–2011 दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को परिषद में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

222/34	परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या–3, गाजियाबाद में विस्थापित किसानों की संघर्ष समिति के मांग पत्र पर अपर आवास आयुक्त एवं सचिव तथा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 08.10.12 को गाजियाबाद में हुई वार्ता से संबंधित टिप्पणी के संबंध में।	स्थगित किया गया।

समन्वय कोष्ठ

222/35	परिषद कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	11 कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सेवोत्तम प्रकोष्ठ

222/36	परिषद में सेवोत्तम माण्डल विकसित किये जाने हेतु भारतीय मानक IS15700 : 2005 के प्रस्तर– 7.3 (J) के अनुसार OMBUDSMAN नामित किये जाने के संबंध में।	परिषद में "सेवोत्तम मॉडल" के अनुसार OMBUDSMAN नामित किये जाने के प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

222/37	श्री अनिल कुमार जैन, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) की वर्ष 2010–11 में दिनांक 26.10.10 से दिनांक 27.12.10 की अवधि की संसूचित प्रतिकूल पृविष्टि को आलोपित कर स्वामूल्यांकन आख्या के आधार पर श्रेणी उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।	आवास आयुक्त को एक समिति गठित कर समिति की संस्तुति को आगामी बेठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बरेली जोन

222/38	मंझोला योजना संख्या–4 भाग–2, मुरादाबाद में नगर निगम, मुरादाबाद से संबंधित भूमि समायोजन के संबंध में।	नगर निगम, मुरादाबाद से सम्बंधित भूमि के समायोजन विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मूल्यांकन अनुभाग

222/39	परिषद द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन निदेशिका में बहुमंजिली भवनों (चार मंजिल से अधिक) को मूल्यांकन गाईड लाइन का प्रस्ताव	पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
222/40	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।	–

(रुद्र प्रताप सिंह)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(प्रवीर कुमार)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष